

## साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न- भारत के संदर्भ में चुनौतियाँ और सख्त कदम उठाने की ज़रूरत : अक्षत खेतान

■ लोकमत, जयपुर

अखिल भारतीय स्तर पर कानूनी सलाह उपलब्ध कराने वाली अग्रणी संस्था, कॉर्पोरेट एंड व्हाइजरी एंड लीगल सर्विसेज ने भारत में साइबर-बुलीइंग के खतरे का सामना कर रहे हर व्यक्ति को अनमोल जिंदगी बचाने और उसकी हिफाजत करने के लिए, साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध एवं साइबर उत्पीड़न के क्षेत्र में नई राह दिखाने वाली पहल की शुरुआत की है। आज के डिजिटल जमाने में टेक्नोलॉजी में हो रही प्रगति के साथ लोगों के बीच आपसी संपर्क, बातचीत करने और जानकारी साझा करने के तरीके में बड़े पैमाने पर बदलाव आया है। हालाँकि, टेक्नोलॉजी में इस जबरदस्त प्रगति ने साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न जैसी नई चुनौतियों के लिए भी दरवाजे खोल दिए हैं, जो भारत के साथ-साथ दुनिया भर में एक बड़ी सामाजिक चुनौती के तौर पर उभरकर सामने आ रहे हैं। भारत जैसे देश में ये समस्याएँ विशेष रूप से गंभीर हैं, जहाँ इंटरनेट के उपयोग में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। परंतु सामने आने वाले ऑनलाइन खतरों की तुलना में इसे नियमों के दायरे में लाने वाली व्यवस्था और जागरूकता काफी पीछे है। इस मौके पर, कॉर्पोरेट एंड व्हाइजरी एंड लीगल सर्विसेज (एचएल) के संस्थापक, अक्षत खेतान ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा, भारत धीरे-धीरे



डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, इसलिए साइबर-बुलीइंग, साइबर अपराध और साइबर उत्पीड़न को वजह से सामने आने वाले खतरों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। नीति निर्माताओं, शिक्षकों, कानून लागू करने वाली संस्थाओं और आम लोगों को इन समस्याओं पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है। भारत इस मुद्दे के सभी पहलुओं को शामिल करने वाला कानूनी ढांचा तैयार करके, लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और कानून लागू करने वाली संस्थाओं को मजबूत करके, इन ऑनलाइन खतरों के खतराकारक प्रभावों को

कम करने की शुरुआत कर सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित कर सकता है कि इंटरनेट अपने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए पूरी तरह सुरक्षित बना रहे। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार, राजस्थान में हर साल साइबर धोखाधड़ी के लगभग 77769 मामले दर्ज किए जाते हैं और लगातार बढ़ रही इस समस्या पर कानून पाने के लिए पर्याप्त कानूनी उपायों की आवश्यकता है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए, एचएल को हलचल से उबरने में मदद करने के लिए युवा सलाहकारों की सेवा उपलब्ध कराएगा, साइबर अपराध पुलिस टीम की मदद करेगा, कानूनी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करेगा, साथ ही पूरे राजस्थान के कॉलेजों तथा विश्वविद्यालयों में लोगों के बीच जागरूकता फैलाने के लिए बड़े पैमाने पर जनसंपर्क कार्यक्रमों एवं सामाजिक अभियानों का संचालन भी करेगा। इसके अलावा, समाज को इस समस्या के बारे में संवेदनशील बनाने के लिए, एचएल की ओर से सेमिनार, सम्मेलनों, पैनल चर्चाओं, केस स्टडी के विश्लेषण, रोड-शो, वॉकथॉन, कैडल-लाइट मार्च, स्किट, कला प्रदर्शनी, वाद-विवाद जैसी गतिविधियों का भी आयोजन किया जाएगा। अक्षत खेतान निम्नलिखित विषयों पर भी ध्यान देने में यकीन रखते हैं, जो देश में कानूनी परिस्थितियों में बदलाव लाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। दिवाला एवं दिवालियापन नियमावली-बुद्धि में

कई संशोधन किए जाने हैं। अब यह कानून निर्माताओं को तय करना होगा कि, विदेशी निवेशकों और ऋणदाताओं को भरोसा दिलाने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है या नहीं। आखिरकार, कारोबार को जारी रखने तथा विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से ही इसे बनाया गया था। परंतु बुद्धि का मौजूदा स्वरूप धरेलू या विदेशी निवेशकों के बीच बहुत अधिक भरोसा कायम करने में सक्षम नहीं है। जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले- दस्तावेजों में दर्ज आंकड़े बताते हैं कि, हमारे देश में जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की सूची में शीर्ष पर मौजूद 50 लोगों के पास भारतीय बैंकों का 9,2570 करोड़ रुपये बकाया है। अर्थशास्त्रियों द्वारा जानबूझकर कर्ज न चुकाने के मामलों पर अधिक ध्यान नहीं देने की एक बड़ी वजह यह भी है कि, इस तरह के मामले सिर्फ भारत से संबंधित हैं और हाल के दिनों तक ज्यादातर आर्थिक शोध मुख्य रूप से अमेरिका पर केंद्रित रहे हैं। लिहाजा इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि, अर्थशास्त्र एवं फाइनेंस के क्षेत्र में जानबूझकर कर्ज न चुकाने के मामलों पर शोध को काफी हद तक नजरअंदाज किया गया है। लेकिन इस तरह की प्रासंगिक और बेहद गंभीर आर्थिक समस्या पर शोध में ऐसा अल्प-निवेश सचमुच भारत के शिक्षाविदों और नीति-निर्माताओं के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। भारतीय उद्योग जगत के लिए खुशी की बात यह है।